

पु.स 34/2019

वादी
देवराज

अनाथ

उरिगढ़ी
सोहीराम

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

12.04.2023

पत्रावली पेश हुई। उपस्थित वादी अधिवक्ता को सुना गया। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार फुलियाकलां से तैयारशुदा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित नक्शा ट्रेस अनुसार अन्तिम डिक्री मुर्तिब की जाती है प्राप्त विभाजन स्कीम एवं हस्ताक्षरित नक्शाट्रेस को उक्त डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है। डिक्री प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकलां को प्रेषित हो।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

